भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2581
उत्तर देने की तारीख- 04/08/2026

एडीआईपी योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना

2581. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी) योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविरों के आयोजन का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अहिल्यानगर जिले के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संगमनेर तालुका में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों और उनकी खराब आर्थिक स्थिति की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से संगमनेर में एक विशेष 'सहायक सहायता वितरण शिविर' आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त शिविर के माध्यम से मोटर चालित तिपहिया साइकिलों (बैटरी चालित तिपहिया साइकिलें) और श्रवण यंत्रों सहित आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संगमनेर में इस शिविर का आयोजन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) की योजना मांग आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरण

उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में मूल्यांकन एवं वितरण शिविर आयोजित किए जाते हैं। ऐसे शिविर योजना की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से सामान्यतः माननीय सांसदों, जनप्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासन के अनुरोध पर आयोजित किए जाते हैं।

(ख): भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना मुख्यतः राज्य का विषय है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राज्यों के प्रयासों का पूरक सहयोग करती है। इस विभाग द्वारा दिव्यांगजनों की संख्या तथा उनकी आर्थिक स्थिति संबंधी विशिष्ट सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता है, इसलिए अहिल्यानगर जिले के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संगमनेर तालुका से संबंधित ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ): सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) की योजना तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत सेवाओं की पहुँच बढ़ाने तथा उन्हें पूरे वर्ष उपलब्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के सहयोग से देशभर में प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र (पीएमडी-वीके) नामक स्थायी केंद्र स्थापित किए हैं।

ये वॉक-इन केंद्र संबंधित योजनाओं के प्रावधानों एवं पात्रता मानदंडों के अधीन दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को मोटर चालित ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल तथा अन्य सहायक उपकरणों सहित पात्र सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों का मूल्यांकन, फिटिंग तथा वितरण करते हैं।

अब तक देशभर में 107 पीएमडी-वीके स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित पीएमडी-वीके जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) भी शामिल है। चूँकि अहिल्यानगर जिले में एक स्थायी पीएमडी-वीके संचालित है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को पूरे वर्ष इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरण स्थायी पीएमडी-वीके के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
